कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य./मा./स./22497/कक्षोन्नति नियम/11–12 दि. 25–3–12

परिपत्र

विषय :– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम 2011–12

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से संबंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों के संबंध में अब तक जारी विभाग स्तर के नियमों/उप नियमों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये जा रहे हैं। ये नियम कक्षा 9 से 12 तक लिए मान्य होंगे।

उक्त नियम शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू माने जायेंगे ।

संलग्न :– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

हस्ताक्षर
सही
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

(शैक्षिक सत्र 2011-2012 से लागू)

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा विभाग) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011-12 से निम्न नियम प्रसारित किये जाते है :-

(1) ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलायेगें तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।

(2) सामान्य नियम :-

2.(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता :-

1. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हों।
2. कक्षा 9 एवं 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ हों उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया हो।
3. बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होंगे।

2.(ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता :-

1. कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी।
2. कक्षा 9 व 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी।

3. यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाय।

4. स्थानान्तरित अथवा प्रवर्जित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाय और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।

6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

7. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मिटिंग में से नियमानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है :—

   कक्षा 9 एवं 11 — 75 प्रतिशत उपस्थिति

8. यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है :—

   1. कक्षा 9 एवं 11 — 30 मिटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ)
   2. रूग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपथिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

2.(ग) परीक्षा तैयारी अवकाश :—

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा 9 तथा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा करेंगे। यह अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

2. कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा जिसमें

प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सकें।

2.(घ) प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

1. सामयिक परखों में प्रश्न पत्र लिखा कर अथवा श्यामपट् पर अंकित करवाये जायेंगे तथा प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जावे।
2. किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्न पत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्त लिखित अथवा टंकित करवाये जावे। 10 से अधिक विधार्थी होने पर प्रश्न पत्र कम्प्यूटर से टंकित करवाकर छाया प्रति दी जा सकेंगी।
3. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा / अर्द्धवार्षिक परीक्षा / पूरक परीक्षा / पुनः परीक्षा एवं कक्षा 10 एवं 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत मुद्रित प्रश्न पत्रों को ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिए जावे। गत वर्षो के बचे हुए प्रश्न पत्रों का उपयोग कतई नहीं किया जावें ।
4. समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र लेने अनिवार्य हैं।

2.(ई) सामयिक परखें एवं परीक्षाएं :–

1. सम्बन्धित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होंगी।
2. सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएं होगी।

   अ – अर्द्ध वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12)

   ब – वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 एवं 11)

   नोट :– कक्षा 9 से 12 की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जावें।

2.(च) परीक्षा परिणामों की घोषणा :–

संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमन्त्रित कर अवलोकन करवाया जाए। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावकों को भेजे जावे।

2.(छ) पूर्णांक :–

1. कक्षा 9 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के परिणाम के पूर्णांक विभाग द्वारा जारी मूल्यांकन योजना के अनुसार होंगे।
2. बोर्ड कक्षाओं हेतु पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों एवं नियमानुसार निर्धारित होंगे।

(3) उत्तीर्णता नियम :—

1. विद्यार्थियों को उनकी तीन सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताकों के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णाक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
2. जिन विषयों में सैद्वान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग—अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नहीं है।
3. तीनों परखों का योग अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णाक में परिवर्तित कर दिया जावें।
4. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है यहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा ।
5. राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा को चुकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा शेष रही परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।
6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा।

(4) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :—

1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथी से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

(5) कृपांक :—

1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है।

अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं।

2. कक्षा 9 व 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते है और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है।

3. रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(6) श्रेणी निर्धारण नियम :–

1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।

2. 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।

3. 36 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी।

4. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।

5. अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

   ''विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलत होता है उनके पूर्णाक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।''

6. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगा। अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़े जावेंगे।

7. श्रीमान् निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/मा.शि./22497/कक्षोन्नति विनियम/11–12/167 दि. 27–3–2014 के अनुसार पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में अर्जित प्राप्तांक अंकित कर उक्तानुसार श्रेणी का निर्धारण करते हुए नई अंकतालिका जारी कर दी जाए।

(7) पूरक परीक्षा नियम :–

(अ) पात्रता :–

1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्ही दो विषयों में दी जा सकेगी।

2. संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णाकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) परीक्षा आयोजन :– शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगा।

वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णाक माने जाएंगे।

(स) पूर्णाक :– प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।

(द) परीक्षा उत्तीर्णता :– वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग अलग प्राप्त किये हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) परीक्षा परिणाम :– शिविरा पंचांग के निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे।

(र) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :– कक्षा 9 व 11 के लिए 20 रूपये।

(8) पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु) :–

1. पात्रता :– वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रूग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।
2. परीक्षा आयोजन : पुनः परीक्षा उन्हीं तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी।
3. पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :– कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रुपये।
4. परीक्षा परिणाम :– सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है। उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नहीं होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

(9) उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा :–

1. प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जावे।
2. सभी परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जावे।
3. परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

(10) अन्य नियम :–

1. कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में रूग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।

2. परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियन्त्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे।

3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दे दिये जावे।

4. परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क रूपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

5. पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जांच सम्मिलित होगी :–

   (अ) सभी प्रश्न जाँचे गये या नही।

   (ब) अंको का योग सही है या नही।

   (स) ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए।

6. प्रगति पत्र की दूसरी प्रति 20 रूपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थाई अभिलेख में भी इन्द्राज किया जावें।

7. कोई भी छात्र अन्य छात्र की जाँची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रुपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तर पुस्तिका को नुकसान पहुंचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिलिपि अपने नियन्त्रण अधिकारी को देगा।

(11) स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम :–

1. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षाओं के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है।

2. यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

(12) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम :–

(अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जायेंगे :–

1. परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना।

2. परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुंह में/डैस्क में/उत्तरपुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस पास रखना।

3. उत्तरपुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तरपुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना।

(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का सन्देह हो तो) :–

1. संबंधित वीक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेंगे।
2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका, सन्देहास्पद सामग्री सहित उससे ले ली जायेगी और उसका स्पष्टीकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नई उत्तरपुस्तिका दे दी जायेगी।
3. यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो वीक्षक आस–पास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवा लेवें।
4. उस सामग्री पर परीक्षार्थी, वीक्षक एवं पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी :–
   - विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिकाएं।
   - वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये।
   - विद्यार्थी, शिक्षक व परिवीक्षक के बयान।
   - संस्था प्रधान की टिप्पणी।
   - सम्बन्धित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति।
   - अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।

(13) अनुचित साधनों में प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :–

इस प्रकार के समस्त अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए :–
   1. सम्बन्धित संस्था प्रधान
   2. परीक्षा प्रभारी (सम्बन्धित संस्था)
   3. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक
2. उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक रखा जायेगा।
3. समिति की सिफारिश पर अन्तिम निर्णय लेकर संबंधित संस्था प्रधान आदेश जारी करेंगे।

4. विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा।

(14) दण्ड :–

प्रकरण की गंभीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी :–

1. जिस विषय में यह पाया जाय की नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंकों मे से 10 प्रतिशत अंक कम पर दिये जायेंगे।
2. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तरपुस्तिका का निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के आधार पर जांच की जायेगी।
3. दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
4. परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
5. जहां विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहां पर जिस प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों से संबंधित हो, वह परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
6. जहां कही ऐसे दोष में किसी/किन्ही शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही सक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे।

(15) अन्य नियम :–

1. किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नही होगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक परामर्शदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राधीक्षक अथवा उक्त समिति के समक्ष करा सकें।
2. यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे संबंधित कोई मामला उपर्युक्त किसी प्रावधान के अन्तर्गत न आये तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

(16) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित सम्बद्ध आदेशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन मान्य होंगे।

(17) परीक्षा संबंधित इन नियमों के अन्तर्गत नही आये विषयों पर विभागाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होंगा।

हस्ताक्षर
सही
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य./मा./स./22497/कक्षोन्नति नियम/11–12/167 दि. 27–3–14

परिपत्र

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : परीक्षा–1/सैल–8/2013/121085 दिनांक 13–7–2013 द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने बाबत प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से सम्बन्धित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों में (परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/ मा/स/22497/कक्षो. नियम/11–12, दिनांक 25–3–12 द्वारा शैक्षिक सत्र 2011–12 से संशोधन/परिवर्तन पश्चात लागू) आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या–6 के उप बिन्दु (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

''पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में अर्जित प्राप्तांक अंकित कर उक्तानुसार श्रेणी का निर्धारण करते हुए नई अंकतालिका जारी कर दी जाए।''

(विकास एस. भाले)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य./मा./स./22497/कक्षोन्नति नियम/11–12/176 दि. 16–3–16

परिपत्र

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25–3–2012 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्र 2011–12 से प्रभावी ''परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12'' के बिन्दु संख्या–(2) सामान्य नियम : 2 (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता के उप बिन्दु (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ, उसके कारणो की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा–10 के परीक्षा परिणाम की संवीक्षा पश्चात् विलम्ब से जारी किए जाने वाले संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों के प्रकरण में उपर्युक्त प्रावधान में बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से पूर्व आयोजित की जा चुकी परख/अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए जाने की शर्त से एतद् द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रकरणों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 25–3–2012 के बिन्दु संख्या–2 (ख) के उप बिन्दु (5) में प्रदत्त निर्देशानुसार की जाएगी।

(बी. एल. स्वर्णकार)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक 16–03–2016

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 9 के लिये सत्र 2011-12 से लागु)

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक		वार्षिक		पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	योग	प्रश्न पत्र	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भाषाऐं : (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) तृतीय भाषा	 10 10 10	 10 10 10	 10 10 10	 30 30 30	 70 70 70	 70 70 70	 100 100 100	 100 100 100	 200 200 200	 72 72 72
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
5	राजस्थान की शौर्य परम्परा एवं स्वतन्त्रता संग्राम	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
6	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10 8 प्रायो.	10 7 प्रायो.	15 10 प्रायो.	60	25 15 प्रायो.	40	30 70 प्रायो.	100	200	––
7	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी – I	10	10	10	30	50 20 प्रायो.	70	70 30 प्रायो.	100	200	––
8	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25				वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100	सतत् आन्तरिक मूल्यांकन
	(2) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 35				प्रायोगिक 45		प्रस्तुति कार्य 20		100	

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घण्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
4. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय तथा फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नही जोड़े जाऐगे। इन विषयों के प्राप्तांकों को अंक तालिका में दर्शाया जायेगा। फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी – । हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों का अवलोकन करें एवं तद्नुसार कार्यवाही करें।
5. राजस्थान की शौर्य परम्परा एवं स्वतन्त्रता संग्राम विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
6. केवल मान्यता प्राप्त/राजकीय मूकबधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अंग्रेजी व तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित स्वयंपाठी के लिए लागू रहेगी।
7. कला शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया गया है :–

   1. चित्रकला 2. संगीत । विद्यार्थी दोनों में से एक चयन कर सकता है। दोनों के पूर्णांक 100 होंगे।
8. ऐसे विद्यालय जहां कम्प्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ संस्था प्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी के लिए निर्धारित कांलाशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते है।
9. न्यूनतम उर्तीणांक 36 प्रतिशत होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिये सत्र 2011-12 से लागु)

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक		पूर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भाषाऐं : (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) तृतीय भाषा	 10 10 10	 10 10 10	 10 10 10	 30 30 30	 70 70 70	 70 70 70	 100 100 100
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100
5	राजस्थान का इतिहास व संस्कृति	10	10	10	30	70	70	100
6	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10	10	10	30	50 20 प्रायो.	70	100
7	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी – II	10	10	10	30	50 20 प्रायो.	70	100
8	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25		वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100
	(2) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 35		प्रायोगिक 45		प्रस्तुति कार्य 20		100
9	नोट : एस. यू. पी. डब्लू. एवं कला शिक्षा में सतत् आन्तरिक मूल्यांकन							

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घण्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. राजस्थान का इतिहास व संस्कृति विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा इस विषय के प्राप्तांकों को बोर्ड नियमानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।
5. समाजोपयोगी उत्पादन एवं कार्य एवं समाज सेवा/कला शिक्षा विषयों की लिखित परख/परीक्षा के स्थान पर वर्ष पर्यन्त सतत् मूल्याकंन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की विवरणिका में निर्धारित प्रवृति/कार्य/शिविर आदि के अनुसार होगा तथा कुल 100 अंकों मे से प्राप्त अंक के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जायेगी।
6. फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी – ।। तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर 100 अंक मे से विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित किए जायेंगे। इन अंकों का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंक तालिका में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को विषयवार सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक भेजने की कार्यवाही बोर्ड के निर्देशानुसार ही की जावें।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 11 के लिये सत्र 2011-12 से लागू)

परिशिष्ठ – 2

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक			पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**भाषाऐं :**												
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
	(3) आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत – I	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
	(4) जीवन कौशल शिक्षा	बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन 30 + 30 + 40										100	
2	**वैकल्पिक विषय – कला वर्ग**												
	(1) भूगोल / मनौविज्ञान / गृह विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	20	50	70	30	70	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) अन्य सभी विषय बोर्ड द्वारा संचालित	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
3	**वैकल्पिक विषय – विज्ञान वर्ग**												
	(1) भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भूविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) गणित	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
4	**वैकल्पिक विषय – कृषि विज्ञान वर्ग**												
	(1) कृषि विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) जीव विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(3) रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) गणित	10	10	10	30	70	——	70	100	——	100	200	72
	(5) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक			पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**वैकल्पिक विषय – वाणिज्य वर्ग**												
	(1) व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70	––	70	100	––	100	200	72
	(2) टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी)	5+5	5+5	5+5	15+15	––	35+35	70	––	50+50	100	200	72
	(3) शीघ्र लिपि एवं टंकण विधि (हिन्दी व अंग्रेजी)	10	10	10	30	35	35	70	50	50	100	200	72
	(4) लेखा शास्त्र	10	10	10	30	70	––	70	100	––	100	200	72
	(5) अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70	––	70	100	––	100	200	72
	(6) गणित	10	10	10	30	70	––	70	100	––	100	200	72
	(7) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घण्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत – । विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दिशानिर्देशानुसार करने होंगे।
6. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उर्तीणांक 36 प्रतिशत होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 12 के लिये सत्र 2011-12 से लागु) परिशिष्ठ – 2 बी

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक			कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**भाषाऐं :**								
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	––	70	100
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	––	70	100
	(3) आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत – ।। (स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन)	10	10	10	30	70	––	70	100
2	**वैकल्पिक विषय – कला वर्ग**								
	(1) भूगोल / मनौविज्ञान / गृह विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(2) संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	30	40	70	100
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैबटेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(4) अन्य सभी विषय बोर्ड द्वारा संचालित	10	10	10	30	70	––	70	100
3	**वैकल्पिक विषय – विज्ञान वर्ग**								
	(1) भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भूविज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(2) गणित	10	10	10	30	70	––	70	100
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
4	**वैकल्पिक विषय – कृषि विज्ञान वर्ग**								
	(1) कृषि विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(2) जीव विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(3) रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
	(4) गणित	10	10	10	30	70	––	70	100
	(5) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100

क्र. सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक			कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**वैकल्पिक विषय – वाणिज्य वर्ग**								
	(1) व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70	——	70	100
	(2) टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी)	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35	——	35+35	50+50
	(3) हिन्दी शीघ्र लिपि एवं टंकण	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35	——	35+35	100
	(3) अंग्रेजी शीघ्र लिपि एवं टंकण	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35	——	35+35	100
	(4) लेखा शास्त्र	10	10	10	30	70	——	70	100
	(5) अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70	——	70	100
	(6) गणित	10	10	10	30	70	——	70	100
	(7) कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टीमिडिया वैब टेक / पर्यावरण विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घण्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दिशानिर्देशानुसार करने होंगे।

व्यावसायिक शिक्षा विषय के अध्ययन की योजना (Scheme of Studies) तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन

1. व्यावसायिक शिक्षा विषय को कक्षा 9 (लेवल–1) व 10 (लेवल–2) में सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में प्रति सप्ताह कालांश निर्धारित कर लेवल–1 व लेवल–2 के लिये वर्ष में 200–200 घंटे की अवधि पूर्ण करना।
2. कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक विषय को सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में अध्यापन कराने का प्रावधान है। (7 विषयों में से व्यावसायिक विषय या सामाजिक विज्ञान में से अधिक अंक आने वाले विषय को सम्मिलित कर सर्वोत्तम 6 विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है)
3. कक्षा 11 (लेवल–3) व (लेवल–4) में विद्यार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय अथवा चौथे अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में अतिरिक्त समय में प्रति सप्ताह कालांश निर्धारित कर लेवल–3 व लेवल–4 के लिये वर्ष में 300–300 घंटे की अवधि पूर्ण करना।
4. प्रति कक्षा (लेवल) व्यावसायिक शिक्षा विषय का मूल्यांकन/परीक्षा 100 अकों का होगा। जिसका अंक विभाजन निम्न प्रकार हैः–

विद्यालय स्तर पर सतत् मूल्यांकन	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रायोगिक कार्य
20	30	50

5. कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा करवाया जाता है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, द्वारा जारी निर्देशानुसार माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भरवाया जाता है।
6. कक्षा 9 व 11 के प्रायोगिक परीक्षा जिले में व्यावसायिक शिक्षा संचालित अन्तर्विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा तथा 10 व 12 की प्रायोगिक परीक्षा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली व विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराये गये असेसर (बाह्य परीक्षक) व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समन्वय से सम्पन्न करायी जाती है।

परीक्षा आयोजन सम्बन्धित विवरण

परीक्षा	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
सतत् मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर
सैद्धान्तिक परीक्षा	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर
प्रायोगिक परीक्षा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा

विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन (20 अंक) का अंक विभाजन निम्नानुसार हैः–

1. उपस्थिति – 5
2. पोर्टफोलियों – 5
3. कक्षा परख – 5
4. कक्षा में प्रदर्शन (Performance) – 5

7. विद्यार्थियों को प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
8. कक्षा 09 (लेवल–1) कक्षा 11 (लेवल–3) की व्यावसायिक शिक्षा विषय की वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षा का विद्यालय स्तर पर आयोजन, मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है।
9. व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा 10 व कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर तथा सम्बन्धित Sector Skill Conucils द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

4. जीवन कौशल शिक्षा

इकाई प्रथम–स्वयं की पहचान एवं संबंध

1. मेरी पहचान : स्वजागरूकता 2. मेरी भावनाएँ : अभिव्यक्ति
3. पारिवारिक संबंध : रिश्तों को समझना 4. सामाजिक संबंध : जिम्मेदारी निभाना
5. सम्बन्ध : मजबूत बनाना 6. सम्प्रेषण : प्रभावी अभिव्यक्ति 7. मित्रता : सही पहचान
8. समूह दबाव : आत्मविश्वास 9.सामाजिक समस्याएँ : मिलकर निवारण करना

इकाई द्वितीय–स्वास्थ्य के महत्त्व की समझ

10. स्वास्थ्य : शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य 11. समग्र विकास : अनुकूल व सुरक्षित परिवेश
12. शारीरिक परिवर्तन : स्वाभाविक प्रक्रिया 13. मानसिक परिवर्तन : सामाजिक प्रक्रिया के साथ अन्त:संबंध
14. पौष्टिक आहार : अच्छे स्वास्थ्य का आधार 15. योग अभ्यास : सकारात्मक व्यक्तित्व
16. खेलकूद : मनोरंजन एवं बेहतर स्वास्थ्य 17. किशोर वय : मर्यादित व्यवहार
18. किशोरावस्था : कुछ अनकही बातें 19. गर्भधारण और गर्भावस्था : सही उम्र में निश्चय
20. परिवार कल्याण : सीमित परिवार 21. यौन संचारित संक्रमण एवं प्रजनन संक्रमण : समय पर सावधानी
22. एचआईवी / एड्स : जाँच एवं परामर्श 23. दुर्व्यसन : स्वास्थ्य पर प्रभाव

इकाई तृतीय–मेरा भावी जीवन

24. लक्ष्य की ओर : दूरदर्शिता 25. आत्मनिर्भरता : रोजगार के अवसर
26. परिवर्तनशील समाज : सक्रिय भागीदारी 27. जीवनसाथी : भावनात्मक बन्धन
28. अभिभावकत्व : जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार 29. संचार माध्यम : प्रभाव

परिशिष्ट 1. स्वास्थ्य सूचकांक एवं सामान्य जानकारी-भारत व राजस्थान

परिशिष्ट 2. सामान्य रोग

परिशिष्ट 3. सामान्य घरेलू नुस्खे

परिशिष्ट 4. परीक्षा की तैयारी

आत्म-मूल्यांकन प्रश्नावलियाँ

किशोरों तक जीवन कौशल शिक्षा को हस्तान्तरित करने के लिए शिक्षक निर्देशिका एवं विद्यार्थियों हेतु पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है। ये दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं। इनका समान्तर अध्ययन विषय के बारे में स्पष्टता एवं जानकारी को बढ़ाता है। सहभागी प्रशिक्षण विधियों पर आधारित ये पुस्तकें विद्यार्थियों के साथ काम करने में अत्यन्त मददगार हैं।

(1) **शिक्षक निर्देशिका**–यह पुस्तिका अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जीवन कौशलों को आत्मसात् करने और बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। इसके विभिन्न सत्रों के संचालन के माध्यम से शिक्षक न केवल विद्यार्थियों में जीवन कौशल शिक्षा का संचार करेंगे अपितु स्वयं भी अपने अन्दर विद्यमान कौशलों को पहचान कर तदनुसार आचरण करने में सक्षम हो सकेंगे। यह निर्देशिका तीन इकाइयों में विभक्त हैं, 'मेरी पहचान', 'स्वास्थ्य की समझ' और 'मेरा भावी जीवन'। इसमें कुल 29 पाठ हैं और प्रत्येक पाठ में दो से चार तक गतिविधियाँ हैं। इनके माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में जीवन कौशलों का स्वत: विकास हो सके।

शिक्षक इसमें दिए गए प्रत्येक पाठ का पूर्व अध्ययन कर उसकी गतिविधियों को भली भाँति समझ लें। सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लें। गतिविधियों के दौरान दिए गए सहजकर्ता सम्बन्धी निर्देशों का अनुसरण करके तथा स्वयं की रचनात्मकता से गतिविधियों को संचालित करें। इससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। प्रत्येक पाठ के अन्त में उल्लिखित विभिन्न कौशलों के प्रति विद्यार्थी अपनी समझ बढ़ाते हुए इन्हें

ग्रहण कर सकेंगे। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई (स्वास्थ्य की समझ) के दौरान विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखें। इसकी गतिविधियों के संचालन हेतु छात्र-छात्राओं के पृथक-पृथक् बैठने की व्यवस्था भी करें। विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वे अपनी किसी भी शंका या जिज्ञासा सम्बन्धी प्रश्नों को एक पर्ची पर लिख कर इस पेटी में डाल दें। उन्हें निर्देश दें कि वे पर्ची पर अपना नाम नहीं लिखें, इससे गोपनीयता बनी रहेगी।

निर्देशिका के अन्त में मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इसके आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। तीन स्तरों पर होने वाले इस मूल्यांकन कार्य में कक्षा में सहभागिता (गतिविधियों के दौरान), विद्यार्थियों की सृजनात्मकता (प्रोजेक्ट वर्क) तथा परम्परागत मूल्यांकन पद्धति (वार्षिक लिखित परीक्षा) तीनों को सम्मिलित किया गया है। इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों के लिए तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं माना गया है।

(2) विद्यार्थियों हेतु पाठ्यपुस्तक–यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य विषय के बारे में विद्यार्थियों की समझ मो बढ़ाना है। शिक्षक के द्वारा कक्षा में गतिविधि के संचालन के दौरान विद्यार्थी इस पुस्तक का स्वयं अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। इस पुस्तक के पाठ शिक्षक निर्देशिका के सत्रों के अनुरूप तैयार किए गए हैं जिसमें विद्यार्थियों तक सही एवं स्पष्ट जानकारी सम्प्रेषित हो सके। प्रत्येक पाठ के अन्त में दिए गए–'जाने, समझें और करें' विद्यार्थियों के सतत मूल्याकंन हेतु हैं। इसकी पूर्ति हेतु शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे।

जीवन कौशल शिक्षा मूल्यांकन

मूल्यांकन तीन स्तरों पर होगा। इसमें कक्षा में सहभागिता (गतिविधियों के दौरान) विद्यार्थियों की सृजनात्मकता (प्रोजेक्ट वर्क) तथा परम्परागत मूल्यांकन पद्धति (वार्षिक लिखित परीक्षा) तीनों को सम्मिलित किया गया है। जीवन कौशल शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन का प्रारूप निम्नांकित प्रकार का होगा–

क्र.सं.	मूल्यांकन	अंक
1.	गतिविधि के दौरान मूल्यांकन	30
2.	विद्यार्थियों द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन	30
3.	लिखित प्रश्न-पत्र आधारित मूल्यांकन	40
	कुल योग	**100**

(1) गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन **कुल अंक 30**

गतिविधि आधारित मूल्यांकन सतत् प्रक्रिया में रहेगा, जिसके लिए विद्यार्थी पाठ्यपुस्तिका में दिये गये 'जाने, समझे, करें' के आधार पर विद्यार्थियों का अवलोकन होगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं।

प्रत्येक पाठ की गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को ध्यान से निरीक्षण करें। शिक्षक इस हेतु रजिस्टर रख सकते हैं। सत्र के अंत में निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन करें।

क्र.सं.	मूल्यांकन	कुल अंक
1.	भागीदारी	5
2.	समूह भावना	5
3.	दृष्टिकोण	5
4.	सम्प्रेषण	5
5.	रचनात्मकता	5
6.	जिज्ञासा	5
	कुल योग	**30**

गतिविधि आधारित मूल्यांकन का प्रारूप

विद्यालय .... दिनांक ....

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	भागीदारी	समूह भावना	दृष्टिकोण	सम्प्रेषण	रचनात्मकता	जिज्ञासा	कुल योग

हस्ताक्षर

(2) विद्यार्थियों द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन **कुल अंक 30**

विद्यार्थियों द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन सावधिक रहेगा। इसमें प्रत्येक इकाई पर आधारित कुछ व्यावहारिक व प्रायोगिक कार्य जैसे–प्रोजेक्ट कार्य, स्क्रेप बुक, सूचना संकलन, फील्ड वर्क, रिपोर्ट लेखन, चार्ट/पोस्टर आदि के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जायेगा। इसके भी 30 अंक होंगे।

उक्त व्यावहारिक कार्य विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों स्तर पर किये जा सकते हैं। सामूहिक स्तर के प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक सात या आठ विद्यार्थियों के छोटे-छोटे समूह बनाकर विषयानुसार गतिविधियाँ संचालित करवाएँ। इस संदर्भ में उदाहरणस्वरूप कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त शिक्षक चाहें, तो स्वविवेक से अन्य गतिविधियों का भी प्रयोग सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर उक्त कार्यों का प्रस्तुतीकरण विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक इकाई के लिये अंकों का वितरण निम्नांकित प्रकार से होगा–

इकाई	प्रथम	10
इकाई	द्वितीय	10
इकाई	तृतीय	10
	कुल योग	**30**

जीवन कौशल शिक्षा - प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन का प्रारूप

विद्यालय .... दिनांक ....

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	इकाई-प्रथम	इकाई - द्वितीय	इकाई - तृतीय	कुल योग
		10	10	10	30

(1) लिखित प्रश्न-पत्र आधारित **कुल अंक 40**

लिखित प्रश्न-पत्र से होने वाला मूल्यांकन वार्षिक होगा। इसके कुल 40 पूर्णांक हैं, जिसमें प्रथम व तृतीय इकाई के लिए 10 + 10 व द्वितीय इकाई के लिए पूर्णांक के रूप में 20 अंक निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के मूल्यांकन कार्य हेतु कुल पूर्णांक 100 हैं।

सत्रांत पर शिक्षक शिक्षक-निर्देशिका के अन्त में पीछे दिये गये प्रश्नों में से कुल 40 प्रश्नों का चयन करें। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 1 अंक दिया जायेगा। मूल्यांकन करते समय शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी स्वविवेक से भी दे सकते हैं।

इन प्रश्नों के चयन का आधार व अंक-प्रणाली निम्न प्रकार से होगी–

इकाई-प्रथम	10 प्रश्न	10 अंक
इकाई-द्वितीय	20 प्रश्न	20 अंक
इकाई-तृतीय	10 प्रश्न	10 अंक
कुल	**40 प्रश्न**	**40 अंक**

जीवन कौशल शिक्षा – प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन का प्रारूप

विद्यालय .... दिनांक ....

क्र.सं.	नाम	गतिविधि आधारित 30	प्रोजेक्ट आधारित 30	लिखित मूल्यांकन 40	कुल योग 100	श्रेणी

कुल प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा 60 व इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें 'ए' श्रेणी, 45 व इससे अधिक (60 से कम) प्राप्तांक पर 'बी' श्रेणी तथा 45 से कम प्राप्तांक पर 'सी' श्रेणी प्रदान की जाएगी।

श्रेणी	कुल प्राप्तांक
A	6 व ऊपर
B	45 व ऊपर
C	45 से नीचे